कॉर्पोरेट ऋण संबंधी नीति

1) वित्तीय सहायता का स्वरूप :

आवधिक ऋण/गारंटी सहायता, नई विद्युत परियोजना में इक्विटी लगाने या विद्यमान विद्युत परियोजना के अधिग्रहण के प्रयोजन के लिए दी जाएगी। विद्युत परियोजना में विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण परियोजनाएं भी शामिल हैं।

2) विद्युत उधारकर्ता :

विद्युत क्षेत्र के सभी विद्यमान उधारकर्ता, भले ही वे सरकारी हों या प्राइवेट, जिनमें राज्य सरकारें और राज्य सरकारों की नियंत्रक / निवेश कंपनियां भी शामिल हैं।

3) पात्रता का मापदंड :

(क) पीएफसी के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रकटन की उपलब्धता ।

(ख) उधारकर्ता, पीएफसी की बहियों में मानक परिसंपत्ति होना चाहिए।

(ग) नई परियोजना (परियोजनाओं) के लिए आवश्यक अनुमोदन उपलब्ध हो।

(घ) प्राइवेट एंटिटी के मामले में पीएफसी के एकीकृत परियोजना क्रमांकन मॉडल के अनुसार पांच उधारकर्ता।

इसके अलावा प्राइवेट उधारकर्ताओं के मामले में इस सुविधा के अधीन यह सहायता केवल उन्हीं कार्पोरेट निकायों को दी जाएगी, जिनके पास विद्यमान विद्युत परियोजनाएं हों और जिन्हें नये / विद्युत परियोजनाओं के विस्तार में इक्विटी निवेश के लिए निधियों की आवश्कयता हो। इसमें ऋण के अंतिम उपयोग का सख्ती से मानीटरिंग किया जाएगा।

वित्त व्यवस्था की सीमा :

वित्त-व्यवस्था की सीमा मूल्यनिरूपण के आधार पर निर्धारित की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उधारकर्ता का रोकड़ प्रवाह समस्त ऋण की अदायगी करने के लिए संतोषजनक है। कुछ हद तक वित्त-व्यवस्था की मात्रा का निर्धारण के लिए निम्नलिखित बातें मार्गदर्शी कारकों के रूप में कार्य करेंगी :

(क) यदि उधारकर्ता केंद्रीय / राज्य यूटिलिटी हो और वह विद्यमान तुलन-पत्र पर या एसपीवी के माध्यम से नई विद्युत परियोजना (परियोजनाओं) स्थापित करने के लिए ऋण लेना चाहता हो तो वित्त-व्यवस्था की सीमा अप्रतिबद्ध अतिरिक्त धनराशि के विद्यमान मूल्य (पी वी) के **50** प्रतिशत तक होगी, जिसमें उस अवधि के लिए परिकलित चालू परियोजना (परियोजनाओं) के इक्विटी पर प्राप्ति (आरओई) भी शामिल होगा, जो प्रस्तावित ऋण की अवधि और चालू परियोजना (परियोजनाओं) की शेष उपयोगी डिजाइन की मियाद से कम हो। केवल ऐसी चालू परियोजनाओं पर विचार किया जाएगा, जिनका तीन माह का संतोषजनक प्रचालन इतिवृत्त रहा हो। इसके अलावा अतिरिक्त ऋण के प्रभाव को हिसाब में लेने के बाद मूल्य निरूपण के समय उधारकर्ता एंटिटी के संबंध में **4:1** या उससे कम का डी / ई और **1.15** या उससे अधिक का औसत डी एस सी आर सुनिश्चित किया जाएगा।

(ख) यदि राज्य सरकार के **100** प्रतिशत स्वामित्व सहित राज्य सरकार / नियंत्रक कंपनी / निवेश कंपनी को अथवा जे वी परियोजनाओं में निवेश के लिए केंद्र / राज्य यूटिलिटी को ऋण दिया जाता है, तो वित्त-व्यवस्था की सीमा पीएफसी को स्वीकार्य अवधि के लिए ऐसे उधारकर्ताओं को उपलब्ध अभिनिर्धारण योग्य अबाध रोकड़ प्रवाह के प्रतिशत तक होगी। अबाध रोकड़ प्रवाह, शुल्क-मुक्त विद्युत राजस्व, लाभांश, रायल्टी आदि के रूप में हो सकता है।

उपर्युक्त (क) और (ख) में प्रयोग में लाए जाने वाले बट्टे की दर 'क' श्रेणी के उधारकर्ताओं के मामले में 'आवधिक ऋण' पर लागू ब्याज दर होगी।

(ग) यदि उधारकर्ता प्राइवेट क्षेत्र का एंटिटी हो, तो वित्त-व्यवस्था की मात्रा, उधारदाताओं के साथ उसके पिछले कार्य-निष्पादन रिकार्ड के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

इसके अलावा इस प्रकार कम से कम तीन माह के संतोषजनक प्रचालन इतिवृत्त् वाली चालू परियोजनाओं से उधारकर्ता के उपलब्ध अतिरिक्त धनराशि के आधार पर निर्धारित किया जाएगा कि उधारकर्ता का प्रदर्शित न्यूनतम डी एस सी आर **1.2** से अधिक रहे और ऋण की अवधि के दौरान डी / ई अनुपात **3 : 1** की अधिकतम सीमा से अधिक न हो। उपर्युक्त न्यूनतम डी एस सी आर और अधिकतम डी / ई की अपेक्षाएं, वित्तीय प्रसंविदा के रूप में भी तय की जाएंगी। इसके अलावा **4 : 1** का उच्च डी / ई ऐसी

परियोजनाओं के लिए दिया जा सकता है, जो आर टी एल की **4 : 1** नीति के अधीन पात्रता के लिए पीएफसी की नीति के अंदर हों।

बाद में, एकीकृत क्रमांकन और समर्थक प्रतिभूति का उपयोग, वित्त-व्यवस्था की सीमा का निर्धारण करने के लिए निवेश के रूप में भी किया जा सकता है।

(घ) वर्तमान कार्य-निष्पादन और वास्तविक स्थिति के आधार पर परियोजनाओं का पुन: मूल्यनिरूपण किया जाना चाहिए।

(ड.)सभी श्रेणी के उधारकर्ताओं के लिए इस सुविधा के अधीन वित्तीय सहायता, नई/अधिग्रहीत परियोजना की कुल इक्विटी आवश्यकता के **50** प्रतिशत तक सीमित होगी।

(च) यदि उधारकर्ता द्वारा किसी विद्युत परियोजना का अधिग्रहण किया गया हो, तो अधिग्रहीत की जाने वाली परिसंपत्ति के मूल्यांकन पहलू पर भी उस समय विचार किया जाएगा, जब उधारकर्ता के लिए ऋण की रकम का निर्धारण किया जा रहा हो।

(छ) किसी भी उधारकर्ता के लिए समग्र स्वीकृति सीमा **1000** करोड़ रुपए होगी।

5. प्रतिभूति :

पीएफसी मूल्यांकन के आधार पर सुविधा अनुसार निम्नलिखित एक या एक से अधिक प्रतिभूतियों पर वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

(क) प्राथमिक प्रतिभूति

- चालू परियोजना **(**परियोजनाओं**)** की चल और अचल परिसंपत्तियों पर प्रथम **/** द्वितीय समरूप प्रभार।
- राज्य सरकार की गारंटी
- नि:शुल्क **/** आबंटित बिजली से होने वाले अतिरिक्त और भार-रहित राज्य पर प्रभार।
- टीआरए के लाभांश वितरण पर प्रभार।
- कोई अन्य स्वीकार्य प्रतिभूति ।

(ख) समर्थक प्रतिभूति :

- व्यक्तिगत गारंटी / प्रमोटरों की कार्पोरेट गारंटी
- वर्तमान कंपनी अर्थात मूल कंपनी या न कंपनी अथवा विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए सृजित एसपीवी के शेयरों को गिरवी रखना।
- उस परियोजना (परियोजनाओं) की चल और अचल परिसंपत्तियों पर प्रथम /द्वितीय समरूप प्रभार, जो चालू हों।
- कोई अन्य स्वीकार्य प्रतिभूति।

टिप्पणी : प्राइवेट परियोजनाओं के मामले में ऋण की रकम कम से कम **125** प्रतिशत की कुल प्रतिभूति (प्राथमिक और / या समर्थक) को बनाए रखी जाएगी। प्रतिभूति का मूल्यांकन पीएफसी के आवधिक ऋण के संबंध में अपनाई जा रही प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अदायगी प्रतिभूति तंत्र (पीएसएम) :

पीएसएम को उधारकर्ता के साथ परामर्श करके विकसित किया जाएगा। इसमें निलंब विलेख, यदि उधारकर्ता का बैंकर हो और विद्युत खरीददार भी पक्षकार हो तो चार पक्षीय करार पी पी ए का समनुदेशन, बिजली की बिक्री पर प्रभार आदि जैसे विभिन्न विकल्प होंगे।

(6) ऋण की अवधि और ऋण-स्थान अवधि :

यदि पर्याप्त रोकड़ प्रवाह उपलब्ध हो तो ऋण की अधिकतम अवधि **10** वर्ष होगी। अलग-अलग परिपक्वता (डोर टू डोर मैट्यूरिटी) (अर्थात् मूलधन की ऋण स्थान अवधि + वापसी की अवधि) चालू की गई परियोजना की शेष उपयोगी डिजाइन अवधि के **80** प्रतिशत से कम होनी चाहिए। विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं का मानक डिजाइन मियाद पर सीईआरसी के मानदंडों के अनुसार विचार किया जाएगा।

आमतौर पर ऋण-स्थगन अवधि मूलधन की वापसी के लिए ऋण की अंतिम तारीख से अधिकतम छह माह होगी। ब्याज की वापसी के लिए कोई स्थगन-अवधि नहीं दी जाएगी। यदि इस सुविधा के अधीन बहु परियोजना वाली विद्युत यूटिलिटी को विशेष ऋण स्वीकृत

किया जाता है तो ऋण की अंतिम तारीख और पहली वापसी तारीख, संवितरण की प्रत्येक वर्षवार श्रंखला के लिए अलग-अलग तय की जाएगी।

7) संवितरण की प्रक्रिया :

संवितरण, विद्युत परियोजना की इक्विटी प्रवाह आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा।

(क) संवितरण, आपूर्तिकर्ताओं को सीधी अदायगी करके या उधारकर्ताओं की प्रतिपूर्ति करके किया जा सकता है।

(ख) निधियां सीध टी आर ए में डाली जाएंगी, वशर्ते कि ऐसी टीआरए हो।

(ग) यदि पीएफसी ने परियोजना विकास के लिए ऋण दिया हो तो उसे इस ऋण में परिवर्तित किया जा सकता है।

(घ) उधारकर्ता द्वारा प्रलेखन के समय स्वीकृत निधि की वार्षिक प्रतिबद्धता के अनुसार खर्च किए जाने पर ही इस सुविधा के अधीन पीएफसी इस निधि का वर्षवार संवितरण करेगा।

प्राइवेट क्षेत्र की परियोजनाएं :

(क) निधि का संवितरण टी आर ए के माध्यम से किया जाएगा। संवितरण का समय, अलग अलग मामलों के मूल्यांकन और आवश्यकता के आधार पर तय किया जाएगा।

(ख) इस सुविधा के अधीन वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए नई परियोजना का वित्तीय समापन, एक संवितरण-पूर्व शर्त होगी। यदि नई परियोजना के लिए संवितरण इसके वित्तीय समापन से जोड़ा जाएगा।

(ग) नई परियोजना के उधारदाता के वित्तीय सलाहकार से रिपोर्ट मंगाकर, निधि के उपयोग को मानीटर भी किया जाएगा।

8. ब्याज की दर

इस ऋण पर ब्याज की दर को संबंधित उधारकर्ता की श्रेणी / ग्रेड के लिए 'आवधिक ऋण' के संबंध में लागू ब्याज दर से जोड़ा जाएगा, उधारकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए मूल्यनिरूपण, प्रस्तावित प्रतिभूति , वित्तीय प्रसंविदा आदि पर निर्भर करेगा।

9. मानक शर्तें :

इस योजना पर सभी मानक शर्तें और उपर्युक्त के सिवाय आवधिक ऋणकी रकम के प्रभार / शुल्क आवश्यक परिवर्तनों सही लागू होंगे।